31/12/2020 पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार आवाजे लगवाई गई कोई उपस्थित नही आया अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा मूल वाद मे पूर्व दिनांक 18/11/2019 को ही वकालतनामा पेश कर दिया गया था परन्तु आज दिनांक तक ना ही तो मूलवाद मे जवाब दावा पेश किया गया है। और ना ही इस प्रार्थना पत्र मे जवाब प्रा0पत्र पेश किया गया है. और ना ही आज उपस्थित है। इससे यह प्रकट होता है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र को अग्रसर करने हेतु कतई इच्छुक नही है। प्रार्थी अधिवक्ता अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई उक्त बहस को सावधानी पूर्वक सुना पाकर न्यायालय द्वारा पूर्व दिनांक 16/10/19 को जारी आदेश को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फेसला शुमार होकर वर्ज नम्बर से कम होने पर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/12/2020 को खुले न्यायालय एवं सैर इजलास सुनाया जाए।

उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
बस्सी जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner